



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112021-231031
CG-DL-E-11112021-231031

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 11, 2021/कार्तिक 20, 1943

No. 333]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 11, 2021/KARTIKA 20, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2021

सं. 35 / 2015—2020

विषय: उदगम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेंसी (एजेंसियों) को विदेश व्यापार नीति, 2015—20 के परिशिष्ट-2ड. के तहत सूचीबद्ध करने तथा इनके विवरण में संशोधन करने के संबंध में।

फा. सं. 01/93/180/67/एएम-21/पी.सी-II(बी)/ई-28960.—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015—2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा निम्नलिखित एजेंसियों को उदगम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत करते हैं:

- (i). चमड़ा निर्यात परिषद् (सीएलई)
नं. 1, शिव गंगा रोड़, नुंगमबक्कम
चैन्नई, तमिलनाडु, 600034
दूरभाष: 044-48684380-84
ई-मेल: cle@cleindia.com
वेबसाइट: www.leatherindia.org

(ii) उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (यूसीसीआई)

चैम्बर भवन, चैम्बर मार्ग,

मेवाड़ इंडस्ट्रीयल एरिया, मादड़ी,

उदयपुर, राजस्थान— 313003

दूरभाष: 0294-2491060, 2492214, 2492215

मोबाइल सं. — 800156600 / 9351917002 / 9351917008

ई-मेल: info@ucciudaipur.com, uccisec@ucciudaipur.com

वेबसाइट: www.ucciudaipur.com

2. तदनुसार, विदेश व्यापार नीति (2015-2020) के परिशिष्टों एवं आयात निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट 2ड. [उद्गम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों की सूची] के अंतर्गत उपर्युक्त एजेंसियों के नाम निम्नानुसार शामिल किए जाते हैं:-

एजेंसी का नाम	राज्य	क्रम सं.
चमड़ा निर्यात परिषद् (सीएलई)	तमिलनाडु	16
उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (यूसीसीआई)	राजस्थान	06

3. इसके अलावा विदेश व्यापार नीति (2015-2020) के परिशिष्ट 2ड. [उद्गम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों की सूची] में उप शीर्षक 'महाराष्ट्र' के अंतर्गत क्रम सं. 13 पर सूचीबद्ध निम्नलिखित एजेंसी के नाम और पते के विवरण को भी निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

परिशिष्ट-2ड. में क्रम सं.	एजेंसी का मौजूदा विवरण	एजेंसी का संशोधित विवरण
13.	मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बजाज भवन, पी-2, एमआईडीसी, स्टेशन रोड़, औरंगाबाद - 431005 दूरभाष: (0240)-324509 / 355090 फेक्स: (0240)333029 ई-मेल: mia-abd@satyam.net.in	चैम्बर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर (सीएमआईए) बजाज भवन, पी-2, एमआईडीसी, स्टेशन रोड़, औरंगाबाद - 431005, दूरभाष: 0240-2333029 ई-मेल: office@cmia.co.in वेबसाइट: www.cmia-aurangabad.com

4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के परिशिष्ट 2ड. के तहत दो नई एजेंसियों नामतः चमड़ा निर्यात परिषद् (सीएलई) और उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (यूसीसीआई) को उद्गम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने हेतु सूचीबद्ध किया गया है। परिशिष्ट 2ड. के अंतर्गत पहले से सूचीबद्ध मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का नाम बदल कर चैम्बर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर (सीएमआईए) कर दिया गया है। एजेंसी के पते का विवरण भी अद्यतन कर दिया गया है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 11th November, 2021

No. 35 /2015-2020

Subject : Enlistment of Agency(ies) and amendment in details under Appendix 2E of FTP, 2015-2020 - authorized to issue Certificate of Origin (Non-Preferential) – reg.

F. No. 01/93/180/67/AM-21/PC.II(B)/E- 28960.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby authorizes the following agencies to issue Certificate of Origin (Non Preferential):

- (i) Council for Leather Exports (CLE)
No.1, Sivaganga Road, Nungambakkam,
Chennai, Tamil Nadu, 600034
Phone: 044-48684380 – 84
Email: cle@cleindia.com
Website: www.leatherindia.org
- (ii) Udaipur Chamber of Commerce & Industry (UCCI)
Chamber Bhawan, Chamber Marg,
Mewar Industrial Area, Madri,
Udaipur, Rajasthan – 313003
Tele No. 0294 -2491060, 2492214, 2492215
Mobile No. 8000156600 / 9351917002 / 9351917008
email: info@ucciendaipur.com, uccisec@ucciendaipur.com
website: www.ucciendaipur.com

2. Accordingly, name of the above agencies **are added as under** in Appendix 2E [List of Agencies Authorized to issue Certificate of Origin (Non-Preferential)] to Appendices & Aayat Niryat Forms of FTP (2015-2020) :

Name of Agency	State	Serial No.
Council for Leather Exports (CLE)	Tamil Nadu	16
Udaipur Chamber of Commerce & Industry (UCCI)	Rajasthan	06

3. In addition, name and contact details of the following agency enlisted at Sl. No. 13 under the sub-heading 'Maharashtra' in Appendix 2E (List of agencies authorized to issue Certificate of Origin (Non-Preferential)) of the FTP (2015-2020) is also amended as under:

S. No. in Appendix 2E	Existing details of the agency	Revised details of the agency
13.	Marathwada Industries Association Bajaj Bhavan, P-2, MIDC, Station Road, Aurangabad-431005 Tel (0240)-324509/355090 Fax (0240)333029 E-mail: mia-abd@satyam.net.in	Chamber of Marathwada Industries and Agriculture (CMIA) Bajaj Bhavan, P-2, MIDC, Station Road, Aurangabad-431005 Phone: 0240 - 2333029 E-mail: office@cmia.co.in Website: www.cmia-aurangabad.com

4. Effect of this Public Notice:

Two new agencies namely Council for Leather Exports (CLE) and Udaipur Chamber of Commerce & Industry (UCCI) are enlisted under Appendix 2E of FTP, 2015-2020 for issuing Certificate of Origin (Non-Preferential). Name of Marathwada Industries Association, already enlisted under Appendix 2E, has been amended as Chamber of Marathwada Industries and Agriculture (CMIA). Contact details of the agency have also been updated.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.